रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2015/फाल्गुन 5, 1936
No. 114] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2015/PHALGUNA 5, 1936

indiacode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2015

सा.का.नि.122(अ). – केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(क) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के नियम 10 के उपनियम (6) के पश्चात् उपनियम (7) अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् –

"7 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास इलेक्ट्रोनिक रीति से फाइल किए गए आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज के संबंध में मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज प्ररूप संख्या जीएनएल – 4 में परिशिष्ट के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।"

(ख) उपाबंध में, प्ररूप संख्या जीएनएल 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

प्ररूप सं. जीएनएल-4 [कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के नियम 10(7) के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	त्रुटियों या अपूर्णताओं के सुधार के लिए परिशिष्ट फाइल करने का प्ररूप

प्ररूप की भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी

टिप्पण- *चिन्हित सभी भरी किया जाना आज्ञापक हैं।

1. *संगत प्ररूप (प्ररूपों) की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) **(पूर्व भरा हुआ)**

(जिस प्ररूप के संबंध में परिशिष्ट फाइल किया जा रहा है उसके एसआरएन का उल्लेख करें। सुनिश्चित करें कि इस फील्ड में सही एसआरएन उल्लिखित हो और प्रणाली द्वारा नीचे दर्शाए गए ब्यौरों से सत्यापित करें)

2. (क) *एसआरएन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(ख) प्ररूप संख्या

3 (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) **(पूर्व भरा हुआ)**

या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन)

(ख) कंपनी की वैश्विक प्रस्थिति संख्या (जीएलएन).....

4. (क) कंपनी का नाम.....

(ख) कंपनी की भारत में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रमुख व्यवसाय स्थान का पता

.....

(ग) इस प्ररूप को फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम (गैर कंपनी या अभी तक निगमित नहीं की गई कंपनी के संबंध में फाइलिंग के मामले में लागू)

.....

(घ) ई-मेल आईडी

5. (क) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बताई गई त्रुटियों या मांगी गई और सूचना के ब्यौरे

.....

.....

(ख) *त्रुटियों के सुधार या उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सूचना के ब्यौरे

.....

.....

6. (क) अतिरिक्त (विशेष) स्टाम्प शुल्क संदाय का एसआरएन **(पूर्व भरा हुआ)**

अतिरिक्त (विशेष) स्टाम्प शुल्क के ब्यौरे

(ख) (i) स्टाम्प शुल्क की रकम दस्तावेज का नाम

(ii) स्टाम्प शुल्क की रकम दस्तावेज का नाम

(iii) स्टाम्प शुल्क की रकम दस्तावेज का नाम

(यह सुनिश्चित करें कि नीचे ड्रापडाउन में दिए गए दस्तावेजों की सूची सही प्रकार के दस्तावेज का चयन किया जाए। अधिकतम पांच दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं)

IndiaCode

7. (क) दस्तावेज का प्रकार **(संलग्न करें)**
(ख) दस्तावेज का प्रकार **(संलग्न करें)**
(ग) दस्तावेज का प्रकार **(संलग्न करें)**
(घ) दस्तावेज का प्रकार **(संलग्न करें)**
(ड.) दस्तावेज का प्रकार **(संलग्न करें)**

संलग्नकों की सूची

संलग्नक हटाएं

सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है।

अंकीय हस्ताक्षर किया जाए

1. निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी या सचिव (भारतीय कंपनी के मामले में) या कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी के मामले में)
पदनाम
निदेशक या प्रबंध निदेशक की निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन);
या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का
आयकर पैन; या सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या
आयकर पैन (किसी कंपनी का कोई सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है, अपना
आयकर पैन दे सकता है)

2. निदेशक या प्रबंध निदेशक
पदनाम
निदेशक या प्रबंध निदेशक का डीआईएन

3. यदि जिस प्ररूप के संबंध में परिशिष्ट फाइल किया जा रहा है उस पर आवेदक या अभिदाता या वकील या न्यायवादी या प्लीडर या प्रभारी व्यक्ति या प्रभारधारक या एआरसी या समनुदेशिती या न्यासी या प्रतिभूतिधारक या प्राप्तकर्ता या नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति या लेखापरीक्षक या समापक या लागत लेखापरीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या किसी अन्य द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो

I. पदनाम
क्षमता
II. पदनाम
III. पदनाम

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने ऊपर उल्लिखित विवरणों (संलग्नक सहित) का अभिलेखों से सत्यापन कर लिया है और उन्हें सत्य एवं सही पाया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के पूर्णतया संलग्न किए गए हैं।

IndiaCode

- o चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या
- o लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या
- o कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायिक)

क्या सहयुक्त है या अध्येता O सहयुक्त O अध्येता

सदस्यता संख्या या व्यवसाय प्रमाण-पत्र

उपांतरित करें **जांच करें** **पूर्व संवीक्षा** **जमा करें**

इस प्ररूप पर प्राधिकार देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है क्योंकि इसे पहले से फाइल किए गए ई-प्ररूप के संबंध में फाइल किया गया है।

[फा. सं. 01/16/2013-सीएल-V (भाग-I)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 268(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 297(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2014 द्वारा किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2015

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 396, 398, 399, 403, and section 404, read with sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2015.

(2) In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014,—

(a) in rule 10, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"7. Any further information or documents called for, in respect of application or e-form or document, filed electronically with the Ministry of Corporate Affairs shall be furnished in Form No. GNL-4 as an addendum"

(b) in the Annexure, after Form No. GNL-3, the following Form shall be inserted, namely:—

FORM NO. GNL-4
[Pursuant to Rule 10(7) of the Companies (Registration offices and Fee) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Form for filing addendum for rectification of defects or incompleteness

Form Language ◯ English ◯ Hindi

Note - All fields marked in *are to be mandatorily filled.

1. Service request number (SRN) of relevant form(s*) [] Pre-Fill

(Mention SRN of relevant form(s) in respect of which addendum is being filed. Ensure that correct SRN is mentioned in this field and verify the system displayed details below)

2. (a) Date of SRN [] (DD/MM/YYYY)

(b) Form number(s) []

3. (a) Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company []

(b) Global location number (GLN) of company []

4.(a) Name of the company []

(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company []

(c) Name of the person filing this form (applicable in case of filing in respect of non-company or company yet to be incorporated)

[]

(d) *e-mail ID []

IndiaCode

5. (a) Details of defects pointed out or further information called by the Registrar of Companies (RoC) or any other competent authority

(b) *Details of rectification of the defects or further information furnished

IndiaCode

6. (a) SRN of additional (differential) stamp duty payment Pre-Fill

Details of additional (differential) stamp duty

(b) (i) Amount of stamp duty Document name

(ii) Amount of stamp duty Document name

(iii) Amount of stamp duty Document name

(Ensure that correct type of document is selected from the list of documents given in the drop down below.

Maximum five documents can be attached).

7. (a) Type of document Attach

(b) Type of document Attach

(c) Type of document Attach

(d) Type of document Attach

(e) Type of document Attach

List of attachments

Remove Attachment

IndiaCode

Verification

To the best of my/our knowledge and belief, the information given above and in the attached documents is correct and complete.

To be digitally signed by

1. Director or Managing Director or manager or CEO or CFO or secretary (In case of an Indian company) or an authorised representative (In case of a foreign company)

Designation

Director identification number (DIN) of the director or Managing Director; or

Income-tax PAN of the manager or CEO or CFO or authorised representative; or

Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

2. Director or Managing Director

Designation

DIN of the director or Managing Director

3. In case the form in respect of which addendum is being filed was signed by applicant or subscriber or advocate or attorney or pleader or person charged or chargeholder or ARC or assignee or trustee of debenture holder or receiver or person securing appointment or auditor or liquidator or cost auditor or chartered accountant (in whole-time practice) or company secretary (in whole-time practice) or cost accountant (in whole-time practice) or others

I. Designation

Capacity

II. Designation

III. Designation

Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of

and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.

◯ Chartered accountant (in whole-time practice) or ◯ Cost accountant (in whole-time practice) or

◯ Company secretary (in whole-time practice)

Whether associate or fellow ◯ Associate ◯ Fellow

Membership number or certificate of practice

Modify Check Form Prescrutiny Submit

IndiaCode

This form is not required to be signed by the authorising officer as this has been filed in respect of an already filed eForm

[F. No. 01/16/2013-CL-V (Part-I)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number. G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended by notification *vide* number G.S.R 297(E), dated the 28th April, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.